## Government of Rajasthan Factories and Boilers Inspection Department

राजस्थान सरकार श्रम एवं नियोजन विभाग

जयपुर, दिनांक 15 MAY 2018.

## आदेश

शासन संयुक्त सचिव, प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग, सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ, राजस्थान, जयपुर के परिपत्र क्रमांक प. 22(16)प्रसु/सूअप्र/2010 दिनांक 30.06.2014 की अनुपालना में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के तहत कारखाना एवं बायलर्स विभाग, राजस्थान राज्य के लिए प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं अधिनियम की धारा 5(1) व 5(2) के तहत राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी निम्नानुसार तत्काल प्रभाव से मनोनीत किया जाता है:-

## प्रथम अपीलीय अधिकारी

मुख्य निरीक्षक, कारखाना एवं बायलर्स विभाग, राजस्थान, जयपुर

क.स	पदनाम	राज्य लोक सूचना अधिकारी/ राज्य सहायक लोक सूचना	कार्य क्षेत्र
		अधिकारी	
, 1.	उप मुख्य निरीक्षक,	राज्य लोक सूचना अधिकारी	सम्पूर्ण राजस्थान
	कारखाना एवं बायलर्स,		
	राजस्थान, जयपुर		
2.	उप मुख्य निरीक्षक,	राज्य सहायक लोक सूबना	जयपुर, दौसा, टॉक
	कारखाना एवं बायलर्स, जयपुर रीजन	अधिकारी	िंगला
3.	उप मुख्य निरीक्षक,	राज्य राहायक लोक रावना	कोटा, बांस एवं
	कारखाना एवं बायलर्स,कोटा	अधिकारी	झालावाङ जिला
4.	उप मुख्य निरीक्षक,	राज्य सहायक लोक सूचना	जोधपुर एवं जैसलगर
	कारखाना एवं बायलर्स, जोधपुर	अधिकारी	जिला
5.	उप मुख्य निरीक्षक,	राज्य सहायक लोक सूचना	उदयपुर एवं राजसगंद
	कारखाना एवं बायलर्स, उदयपुर	अधिकारी ्	िंगला
6.	उप मुख्य निरीक्षक,	राज्य राहायक लोक सूचना	तिजारा तहसील का
	कारखाना एवं बायलर्रा, अलवर	अधिकारी	छोडकर सगरत अलवर जिला
7.	उप मुख्य निरीक्षक,	राज्य सहायक लोक सूचना	जिला भीलवाडा
	कारखाना एवं बायलर्रा. भीलवाडा	अधिकारी	
8.	वरिष्ट निरीक्षक, कारखाना एवं बायलर्स, बीकानेर	राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी	जिला बीकानेर
9.	वरिष्ठ निरीक्षक, कारखाना एवं बायलर्स, श्रीगंगानगर	राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी	जिला श्रीगंगानगर एवं पीलीवंगा तहसील
10.	वरिष्ठ निरीक्षक, किशनगढ	राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी	विज्ञानगढ उपखण्ड
11,	वरिष्ठ निरीक्षक, कारखाना एवं बायलर्स, अजमेर	राज्य सहायक लोक सूचना अभिकारी	किशनगढ समसण्ड को छोडकर अजमेर एव पाती जिले के सोजर एवं जैतरण उपखण्ड

## Government of Rajasthan Factories and Boilers Inspection Department

12.	वरिष्ठ निरीक्षक, कारखाना एवं बायलर्स, पाली	राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी	सोजत एव जैतरण उपखण्ड को छोडकर समस्त पाली जिला
13.	वरिष्ठ निरीक्षक, कारखाना एवं बायलर्स, भिवाडी	राज्य सहायक लोक सूबना अधिकारी	तिजारा तहसील
14.	वरिष्ठ निरीक्षक, कारखाना एवं बायलर्स, चित्तौडगढ	राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी	चित्तौडगढ, प्रतापगढ जिला
15.	वरिष्ठ निरीक्षक, कारखाना बायलर्स, बासवाडा	राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी	बांसवाडा, डूॅगरपुर
16.	निरीक्षक, कारखाना एवं बायलर्स, भतरपुर	राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी	भरतपुर, धौलपुर एवं करौली जिला
17.	निरीक्षक, कारखाना एवं बायलर्स, बूंदी	राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी	बिंदी एवं सवाई माधापुर जिला
18.	निरीक्षक, कारखाना एवं बायलर्स, बालोतरा	राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी	बाडमेर जिला
19.	निरीक्षक, कारखाना एवं बालयर्स, सिरोही	राज्य राहायक लोक सूचना अधिकारी	िसिसही एवं जालीर   जिला
20.	निरीक्षक, कारखाना एवं बायलर्स, मकराना	राज्य सहायक लोक सूबना अधिकारी	नागौर जिला
21.	निरीक्षक, कारखाना एवं बायलर्स, हनुमानगढ	राज्य सहायक लोक सूबना अधिकारी	हनुमानगढ जिला पीलीबंगा तहसील को छोडकर
22.	निरीक्षक, कारखाना एवं बायलर्स, सीकर	राज्य राहायक लोक रावना अधिकारी	सीकर, वृरू एवं झुन्जन जिला

आझा से.

21/260-18

(विश्व मोहन शर्मा) IAS संयुक्त शारान राविव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत् प्रेषित है:

- 1. सचिव, महामहिम राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर।
- 2. असचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान, जयपुर।
- 3. निजी सचिव, माननीय मंत्री, श्रम एवं नियोजन, कारखाना एवं वायलर्रा, कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग, राजस्थान, जयपुर
- 4. पंजीयक, राजस्थान सूचना आयोग, झालाना लिंक रोड, ओ.टी.एस चौराहा, जयपुर ।
- 5. निजी सचिव, शासन सचिव, श्रम एवं नियोजन, कारखाना एवं बायलर्रा, कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 6. संयुक्त शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार (सूचना का अधिकार प्रकोष्ट)विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर ।
- 7. मुख्य निरीक्षक, कारखाना एवं बायलर्श विभाग, राजरथान, जयपुर ।
- 8. उप मुख्य निरीक्षक, कारखाना एवं बायलर्स (मु0), जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि कृपया आपके सभी अधीनस्थ कार्यालयों को सूचित कराने का श्रम करें।
- 9. रक्षित पत्रावली ।

रांयुक्त शारान राविव